FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

दिनांक 13.08.2022 (शनिवार)

लोक अदालत बैंच न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी

मिसल नम्बरः–124 / 2022

किस्म प्रार्थना–पत्रः– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी नालपुर तह. खेतड़ी व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.22	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 92 दिनांक 13.05.2022 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। –:आदेशः– अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम **नालपुर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 हाल खाता संख्या 149 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि राजकुमार पुत्र हरिसिंह के स्थान पर **राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा**, कृष्ण कुमार पुत्र हरिसिंह के स्थान पर **कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा**, मनोज कुमार पुत्र हरिसिंह के स्थान पर **मनोज कुमार शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा**, भगवानी पत्नि हरिसिंह के स्थान पर **भगवानी पत्नि हरिराम शर्मा** व कैलाशचन्द्र पुत्र हरिसिंह के स्थान पर **कैलाशचन्द्र शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा** दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति [illegible] हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो [illegible] बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 13.08.2022 को मजमे आम में सुनाया गया। (संजय सुरोलिया) सदस्य अधिवक्ता (जय सिंह) RAS सदस्य उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (सुश्री श्वेता शर्मा) अध्यक्ष	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:26 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष [illegible] जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी राष्ट्रीय लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी